आदेश पर
बारे में टिप्पणी तारीख

उपायुक्त का न्यायालय, दुमका

रे0मि0 अपील वाद सं0 58/2021–22

श्रीमती लीलावती देवी..अपीलकर्त्ता

बनाम

राज्य सरकार ....उत्तरकारी।

आदेश

25.03.2022

यह रे0मि0 (जन वितरण प्रणाली विक्रेता अनुज्ञप्ति रद्द) अपील वाद जिला आपूर्ति पदाधिकारी, दुमका के पारित आदेश दिनांक–07.02.2022 के विरूद्ध दायर किया गया है, जिसमें माँ शारदे स्वयं सहायता समूह, आमघट्टा, पंचायत–मटिहानी, प्रखंड सरैयाहाट के जन वितरण प्रणाली विक्रेता अनुज्ञप्ति सं0–57/2018 को रद्द किया गया है।

अपील वाद का विवरणी निम्न प्रकार है :–

माँ शारदे स्वयं सहायता समूह आमघट्टा, पंचायत–मटिहानी प्रखंड–सरैयाहाट के नाम से जन वितरण प्रणाली विक्रेता अनुज्ञप्ति निर्गत है जिसका अनुाज्ञप्ति सं0–57/2018 है। इस स्वयं सहायता समूह के कुल 12 बारह सदस्य है। समूह की अध्यक्ष श्रीमती लीलावती देवी एवं बबिता देवी समूह की सचिव है। समूह को जीविकापार्जन हेतु यह अनुज्ञप्ति निर्गत की गई है, ताकि उन्हें स्वरोजगार के रूप में रोजगार प्राप्त हो। समूह के अध्यक्ष एवं सचिव के बीच आपसी तनाव एवं झंझट के कारण दोनो के द्वारा अलग–अलग समूह बनाकर अलग–अलग बैंक खाता खोलवाकर पासबुक अपने पास रखा हुआ है। दोनो समूह के ओर से बैंक में शिकायत प्राप्त होने पर दोनो खाता को होल्ड कर दिया गया है। समूह विवाद के संबंध में अध्यक्ष एवं सचिव द्वारा अलग अलग शिकायत आवेदन दिया गया। उक्त के आलोक में प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, सरैयाहाट एवं महिला प्रसार पदाधिकारी, सरैयाहाट द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्राप्त किया गया। प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, सरैयाहाट के प्रतिवेदन मे किये गये अनुशंसा के आलोक में कार्यालय ज्ञापांक–850 दिनांक–08.09.2020 के द्वारा मॉ शारदे आजीविका सखी मंडल पंचायत मटिहानी प्रखंड–सरैयाहाट को

12

समूह में विवाद होने के कारण इनके आवंटन को तत्कालीन प्रभाव से स्थागित करते हुए स्पष्टीकरण समर्पित करने का निदेश दिया गया एवं दुकान से संबंध सभी कार्डधारियों को माँ भवानी स्वंय सहायता की दुकान में संबद्ध किया गया। प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, सरैयाहाट एवं महिला प्रसार पदाधिकारी, सरैयाहाट के प्रतिवेदन के अनुसार माँ शारदे स्वयं समूह के अध्यक्ष लीलावती देवी द्वारा दिनांक–03.09.2021 को उक्त समूह की दुकान संचालित करने हेतु तथा सचिव बबिता देवी द्वारा दिनांक–19.09.2021 को उक्त समूह के नाम से निर्गत जन वितरण प्रणाली की दुकान को रद्द करने हेतु आवेदन दाखिल किया गया।

इस क्रम में माँ शारदे स्वयं सहायता समूह के सभी सदस्यों को दुकान संचालन हेतु अपना पक्ष लिखित रूप में देने को निदेश दिया गया। उक्त निदेश के आलोक में समूह के सदस्यों द्वारा अपना–अपना पक्ष लिखित रूप से समर्पित किया गया है, जो एकमत नहीं है। इससे प्रतीत होता है कि उक्त समूह के नाम निर्गत दुकान को चालु करना जनहित में उचित नहीं है। इसी आधार पर जिला आपूर्ति पदाधिकारी, दुमका द्वारा माँ शारदे स्वयं सहायता समूह जन वितरण प्रणाली विक्रेता अनुज्ञप्ति सं0–57/18 ग्राम आमघट्टा, पे0–मटिहानी प्रखंड–सरैयाहाट को निर्गत अनुज्ञप्ति को तत्काल प्रभाव से रद्द किया गया।

अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता को सुना। उत्तरकारी की ओर से सरकारी अधिवक्ता को सुना।

अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता का तर्क निम्न प्रकार है :–

1. समूह द्वारा उचित एंव नियमित रूप से कार्डधारियों के बीच राशन का वितरण की जाती है। उन्हें कार्डधारियों से कोई शिकायत नहीं है।

2. इनके द्वारा कोई अनियमितताएँ या अवैध कार्य नहीं किया गया है।

3. समूह के दस सदस्य का अध्यक्ष लीलावती देवी सचिव, लक्ष्मी देवी एवं कोषाध्यक्ष लीलमुनी देवी का समर्थन है।

4. समूह का अध्यक्ष लीलावती देवी के आदेशनुसार ही सदस्यों के द्वारा दुकान का संचालान किया जाएगा।

अतः अनुज्ञप्ति को पुर्नजीवित किया जाय।

जिला आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा पारित आदेश में उल्लेखित तथ्य निम्न प्रकार है :–

प्राप्त आवेदन एवं जाँच प्रतिवेदन तथा अभिलेख में संधारित कागजातों के आधार पर जिला आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा अपने आदेश में उल्लेखित किया गया है कि समूह में काफी विवाद है। समूह में विवाद रहने के कारण भविष्य में कई बड़ा घटना घटने से इन्कार नहीं किया जा सकता है। साथ ही उक्त समूह वर्त्तमान में दो भागो में विभाजित हो गया है। सरकार जिस भावना से स्वयं सहायता समूह को जन वितरण प्रणाली विक्रेता की अनुज्ञप्ति उपलब्ध कराती है, उसके विपरीत इस समूह के द्वारा कार्य किया गया है। उक्त समूह के सदस्यों के बीच कोई अप्रिय घटना न हो इस दृष्टिकोण से झारखण्ड लक्षित जन वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2019 के अध्याय–III के कंडिका–12 में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए माँ शारदे स्वयं सहायता समूह, जन वितरण प्रणाली विक्रेता अनुज्ञप्ति संख्या–57/18 को तत्काल प्रभाव से रद्द किया गया है।

<u>निष्कर्ष</u>

इस प्रकार अभिलेख में उपलब्ध कागजात एवं जिला आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा पारित आदेश से स्पष्ट है कि समूह के बीच विवाद एवं दो समूह दो भागो मे विभाजित होने तथा सदस्यों में एकमत नहीं रहने के कारण साथ ही समूह के बीच कोई अप्रिय घटना न हो इस दृष्टिकोण से झारखण्ड लक्षित जन वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2019 के अध्याय–III के कंडिका–12 में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए माँ शारदे स्वयं सहायता समूह, जन वितरण प्रणाली विक्रेता अनुज्ञप्ति संख्या–57/18 को तत्काल रद्द किया गया है।

इस अनुज्ञप्ति को पुर्नजीवित करने हेतु अपीलकर्त्ता द्वारा अनुरोध किया गया है किन्तु इसकी पुर्नजीवित के पूर्व समूह के वर्त्तमान गति–विधि के संबंध में पूर्ण जानकारी प्राप्त की जानी चाहिए। तथ्यों के संबंध में प्रतिवेदन प्राप्त कर लिया जाना चाहिए कि समूह के सदस्यों के बीच आपसी तालमेल कैसी है। जन प्रणाली दुकान का संचालन में किसी प्रकार का बाधा तो उत्पन्न नहीं होगी।

आदेश

उपरोक्त वर्णित तथ्यों एंव अभिलेख में उपलब्ध कागजातों के आलोक में जिला आपूर्ति पदाधिकारी को आदेश दिया जाता है कि स्वयं स्थल भ्रमण कर लेंगे तथा विवाद के संबंध में पूर्ण जानकारी प्राप्त कर लेंगे। स्वयं सहायता समूह के सदस्यों, कार्डधारियों का भी ब्यान लेंगे। तत्पश्चात् ही इस पर आवश्यक आदेश पारित करेंगे।

लेखापित एवं संशोधित

उपायुक्त,
दुमका।

उपायुक्त,
दुमका।

Digitally signed by RAVI SHANKAR SHUKLA
Date: 2022.12.10 14:26:56 +05:30
Location: 169.254.227.244